

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 131 / 2019

सोवरनसिंह राजावत एडवोकेट, न्यायालय परिसर रूपवास जिला भरतपुर ।

बनाम

तहसीलदार ,रूपवास ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 20.01.2020

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सोवरनसिंह राजावत एडवोकेट, न्यायालय परिसर रूपवास जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 17.10.2019 के द्वारा तहसीलदार ,रूपवास से सूचना चाही गयी थी। तहसीलदार ,रूपवास द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/1088 दिनांक 23.12.2019 से तहसीलदार ,रूपवास से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार ,रूपवास से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएं तहसीलदार ,रूपवास ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त द्वारा तहसीलदार ,रूपवास से वांछित सूचनाएं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार ,रूपवास से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है, जो गंभीर बात है। तहसीलदार ,रूपवास से जबाब प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। लोक सूचना

अधिकारी तहसीलदार ,रूपवास को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार ,रूपवास को प्रेषित की जावे एवं सूचनार्थ अपीलांत को प्रेषित हो।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

